VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

स्मरणीय तथ्य

सुरक्षा

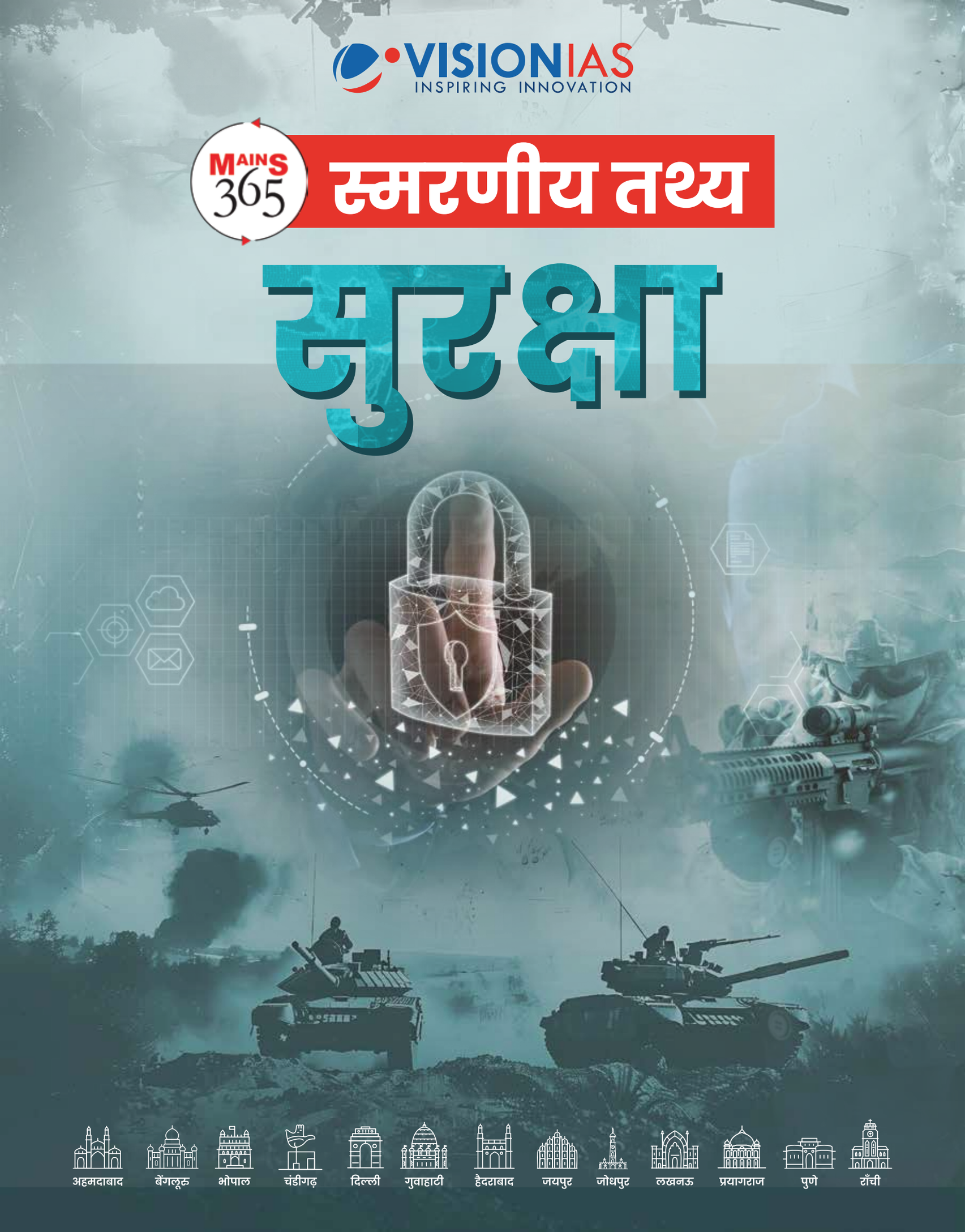

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

OFFLINE IN 40+ CITIES

ABHYAAS MAINS 2024

ALL INDIA MAINS

(GS + ESSAY + OPTIONAL)

MOCK TEST (OFFLINE)

PAPER DATES

GS-I & II	GS-III & IV	ESSAY	OPTIONAL-I & II
24 AUG	25 AUG	31 AUG	1 SEPT

OPTIONAL SUBJECTS

ANTHROPOLOGY | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY | MATHS | PHILOSOPHY
PHYSICS | POLITICAL SCIENCE | PUBLIC ADMINISTRATION | SOCIOLOGY

Scan to Know More and Register

- All India Percentile
- Comprehensive Evaluation
- Concrete Feedback & Corrective Measures
- Complete coverage of UPSC Mains syllabus
- Available in English/Hindi
- Live Test Discussion

Register at: www.visionias.in/abhyaas

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR (MP)
COIMBATORE | DEHRADUN | DELHI - KAROL BAGH | DELHI - MUKHERJEE NAGAR | GHAZIABAD | GORAKHPUR
GURUGRAM | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOCHI
KOLKATA | KOTA | LUCKNOW | LUDHIANA | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | ORAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE RAIPUR
RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA VISAKHAPATNAM

विषय-सूची

1. राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता 4
2. आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मुख्य खतरे 5
3. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और उनका प्रबंधन 10
4. सुरक्षा बल 12
5. विविध 14

प्रिय अभ्यर्थियों,

UPSC मुख्य परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में आपके **उत्तरों में डेटा, तथ्यों और उदाहरणों को शामिल करने के महत्त्व को कम करके नहीं आंका** जा सकता है।

ये तत्व एक आकर्षक और प्रेरक अनुक्रिया के आधार के रूप में काम करते हैं, **जो आपके उत्तर को एक सामान्य लेखन से एक बेहतर तरीके से प्रमाणित तर्क की ओर ले जाते हैं।**

आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS मेन्स 365 पठन सामग्री से सार रूप में डेटा, तथ्यों और उदाहरणों का संकलन तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है **VisionIAS** मेन्स 365 पठन सामग्री करंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है। यह डाक्यूमेंट उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा, तथ्यों और उदाहरणों का एक केंद्रित स्रोत प्रदान करता है।

इस डाक्यूमेंट का लेआउट आपके **उत्तर में क्विक रेफ्रेन्स और तथ्यों आदि के आसान समेकन के लिए डिज़ाइन** किया गया है।

इस सार रूपी जानकारी का लाभ उठाने से **आपको अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जरूरी व्यापक, सूचनात्मक और आकर्षक उत्तर तैयार करने** में मदद मिलेगी।

मेन्स 365 डाक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

स्मार्ट क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (STATE AND NON-STATE ACTORS)

वामपंथी उग्रवाद (LWE)

- **2010-2022 के बीच वामपंथी उग्रवाद हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी** आई है।
- **वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए की गई पहलें:** राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015); समाधान रणनीति; विशेष कार्यबल बस्तरिया बटालियन (CRPF); कौशल विकास केंद्र; ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल आदि।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद

- **पहलें:** बोडो शांति समझौता और हालिया कार्बी आंगलोंग शांति समझौता जैसे **शांति समझौते या करार,** स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे **उड़ान 4.0, मैत्री सेतु, बोगीबील पुल, 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'** के तहत आर्थिक केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर का विकास, **आकांक्षी जिला कार्यक्रम।**

मणिपुर में हिंसा

- **मणिपुर में मान्यता प्राप्त 33 जनजातियां निवास करती हैं।** इन्हें या तो नागा जनजाति या कुकी जनजाति का हिस्सा माना जाता है।
- **पहलें:** इनर लाइन परमिट (ILP), ऑपरेशन के निलंबन हेतु समझौता {Suspension of Operations (SoS) agreement}, **यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)** के साथ शांति समझौते और लोकुर समिति।

अलगाववाद

- **विभिन्न रूप:** उग्रवाद, अलग राज्य के लिए आंदोलन, स्वायत्तता के लिए आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन।
- **पहलें:** संविधान की छठी अनुसूची, मिजोरम में शांति बनाए रखने के लिए **मिजो समझौता,** आकांक्षी जिला कार्यक्रम और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए **यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम** जैसे समूहों के खिलाफ बल का प्रयोग भी किया जाता है।

अवैध प्रवासन

- ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से अक्टूबर 2023 तक, भारत में 2925 अवैध एजेंटों को अधिसूचित किया गया था, जो अवैध प्रवासन को बढ़ावा देते हैं।
- **अवैध प्रवासन को रोकने के लिए आरंभ की गई पहलें:** 'सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं' अभियान; प्रवासन और गमनागमन साझेदारी समझौते (ऐसा समझौता फ्रांस जैसे देशों के साथ किया गया है); व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS); **सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन** के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट; अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन **(INTERPOL/ इंटरपोल)।**

मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)

- इस व्यवस्था को **2018** में भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था।
- इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को **बिना वीज़ा के एक-दूसरे देश के अंदर 16 कि.मी. तक आने-जाने** की अनुमति है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958

- AFSPA सशस्त्र बलों को **"अशांत क्षेत्रों" में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार** प्रदान करता है।
- अफस्पा से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय: **नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1997) वाद; एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य वाद (2016).**
- **AFSPA से संबंधित विभिन्न समितियां:** न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी समिति (2005), द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट (2007).

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मुख्य खतरे (THREATS TO INTERNAL SECURITY)

सोशल मीडिया का दुरुपयोग

- **इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि** (मार्च 2023 तक 880 मिलियन से अधिक, ट्राई)।
- **सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम, 2000** की **धारा 67** और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत **PIB-फैक्ट चेक यूनिट** का गठन।

ऑनलाइन कट्टरतावाद

- **कट्टरतावाद या रेडिकलाइजेशन** में कोई व्यक्ति या समूह **किसी विशेष राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कट्टरपंथी विचारधारा** को अपनाता है।
- **इंटरनेट की बढ़ती पहुंच:** 2023 में, साल-दर-साल 8% की वृद्धि (इंटरनेट इन इंडिया 2023 रिपोर्ट)।
- **वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें: संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति, यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA), ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म (GIFCT), टेक अगेंस्ट टेररिज्म।**
- **भारत में शुरू की गई पहलें:** गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), सही रास्ता कार्यक्रम, ऑपरेशन सद्भावना (SADBHAVANA).**

वर्चुअल परिसंपत्तियां और आतंकवाद का वित्त-पोषण

- **वर्चुअल एसेट्स** यानी क्रिप्टो एसेट्स वास्तव में ऐसे **मूल्य (वैल्यू) का डिजिटल रूप है,** जिनका **डिजिटल रूप से व्यापार, अंतरण या भुगतान** के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- बिटकॉइन, लाइटकॉइन, एथेरियम या डॉजकॉइन।
- **VASPs:** आभासी परिसंपत्तियों या फिएट मुद्राओं के बीच लेनदेन (विनिमय, ट्रांसफर) करने वाली संस्थाएं।
- **भारत में वर्चुअल एसेट्स और VASPs का विनियमन:** धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत धन-शोधन रोधी (AML) और आतंकवाद वित्त-पोषण-रोधी (CFT) विनियमन; **VASPs के लिए 'ट्रेवल रूल्स';** VDASPs को FIU-IND में पंजीकरण कराना तथा आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकने के लिए समन्वय हेतु एक स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

डेटा संरक्षण

- डेटा अप्रसंस्कृत तथ्यों और आंकड़ों को संदर्भित करता है जो **'व्यक्तिगत' या 'गैर-व्यक्तिगत'** हो सकता है।
- **साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे,** क्योंकि भारत 2023 में डेटा की चोरी के मामले में वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर था।
- **डेटा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:** डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर **बी.एन. श्रीकृष्ण समिति; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023.**

साइबर सुरक्षा

- **विश्व साइबर अपराध सूचकांक (2024) में भारत** प्रमुख साइबर अपराध हॉटस्पॉट के रूप में **10वें स्थान** पर है।
- **भारत में महत्वपूर्ण अवसंरचना के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, 2020; साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत (2024); राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013; भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C); भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In); राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC); रक्षा साइबर एजेंसी; राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC).

साइबर खतरे और वित्तीय क्षेत्रक

- **IMF की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024:** सभी साइबर जोखिमों का लगभग पांचवां हिस्सा वित्तीय फर्मों को प्रभावित करता है।
- फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में होने वाले **साइबर अपराध में से 75% वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित थे** (जनवरी 2020-जून 2023 तक)।
- नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी ऑनलाइन रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के लगभग 11 लाख मामले दर्ज किए गए।

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII)

- CII का आशय ऐसी आवश्यक भौतिक और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं से है, जिनके बाधित या नष्ट हो जाने की स्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रक्षा, आर्थिक या सामाजिक कल्याण प्रभावित हो सकता है। उदाहरण - बांध, विद्युत एवं ऊर्जा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं आदि।
- **भारत में महत्वपूर्ण अवसंरचना के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, 2020; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In); भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C); राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC); राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC); रक्षा साइबर एजेंसी।

भू-स्थानिक डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा

- **भू-स्थानिक डेटा** वह जानकारी है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट स्थित विशिष्ट स्थानों, वस्तुओं, घटनाओं या परिघटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन करती है।
- **भारत द्वारा किए गए प्रयास:** राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022; राष्ट्रीय मानचित्र नीति; भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान; राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना जैसे भारत-मैप्स प्लेटफॉर्म; स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली (NAVIC); PM गति शक्ति और स्वामित्व (SVAMITVA)।

मनी लॉन्ड्रिंग या धन-शोधन

- मनी लॉन्ड्रिंग वस्तुत: **अवैध रूप से प्राप्त आय (यानी काले धन) को वैध (यानी सफेद) बनाने की प्रक्रिया है।**
- **मनी लॉन्ड्रिंग के तीन चरण: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन।**
- **मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए शुरू की गई पहलें:** धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002; PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012 और 2023; प्रवर्तन निदेशालय (ED) और वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND); भारतीय रिजर्व बैंक (RBI); भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI); FATF, वियना कन्वेंशन; धन शोधन, इस तरह के अपराध से आय और आतंकवाद के वित्त-पोषण के विरुद्ध वैश्विक प्रोग्राम।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी

- **सबसे ज़्यादा ड्रग्स की तस्करी:** ड्रग्स की तस्करी से प्रभावित राज्यों में पंजाब का पहला स्थान है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है (NCRB, 2022 रिपोर्ट)।
- भारत उपयोगकर्ताओं के मामले में **विश्व का सबसे बड़ा ड्रग्स बाजार** है (विश्व ड्रग रिपोर्ट, 2022)।
- **भारत द्वारा किए गए उपाय:** ऑपरेशन समुद्रगुप्त; नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985; व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS); जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS) और गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDAAN) पोर्टल; **UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961.**

मानव तस्करी

- जबरदस्ती, अपहरण करके, धोखाधड़ी या कपट के जरिए किसी व्यक्ति की भर्ती करने; उसको किसी अन्य जगह स्थानांतरित करने; अपने पास रखने जैसी गतिविधियां **मानव तस्करी** के तहत आती हैं।
- **ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2022 के अनुसार,** 2020 में 141 देशों में **मानव तस्करी के पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 50,000** थी।
- **मानव तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए कदम:** अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC); **युवाओं को अपराध की रोकथाम के लिए जनरेशन जस्टिस (जेन जस्ट/ Gen Just) पहल; अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956; आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013; CBI; मानव तस्करी रोधी (Anti-Human Trafficking) नोडल अधिकारी; क्राइ-मैक (Cri-MAC)।**

आतंकवाद

- **वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024** में **भारत 14वें स्थान पर** (बुर्किना फासो शीर्ष पर) है।
- **वैश्विक पहलें:** संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (GCTS), 2006; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आतंकवाद-रोधी समिति (CTC); ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम (GCTF); वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF); SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS); नो मनी फॉर टेररिज्म कांफ्रेंस।
- **भारत की पहलें:** गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967; राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्थापना; नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या NATGRID; भारत-अमेरिका आतंकवाद-रोधी सहयोग।

भारत का आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण

- सिविक एक्शन प्रोग्राम और उड़ान योजना (जम्मू-कश्मीर में युवाओं का क्षमता निर्माण), NIA, RAW, IB, **हिंसक उग्रवाद की रोकथाम (CVE)**
- 2024 में भारत ने आतंकवाद रोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी ट्रस्ट फंड में **5,00,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान** दिया।

26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी

- **भारतीय तटीय क्षेत्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा: समुद्री पुलिस:** तट से 12 nm तक, **भारतीय तटरक्षक बल:** 12 से 200 nm, **भारतीय नौसेना:** 200 नॉटिकल मील (nm) से आगे
- **सागर प्रहरी बल (SPB), फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स (FICs), सी विजिल (2019),** NIA, **NSG, पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची** में शामिल किया गया आदि।
- 2022 में NIA द्वारा की गई गिरफ़्तारी के मामले में **समग्र दोषसिद्धि दर (Overall Conviction Rate) लगभग 94%** थी।

गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967

- **UAPAUAP संशोधन अधिनियम 2019:** संगठनों के अलावा, सरकार द्वारा व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
- **आतंकवादी कृत्य की परिभाषा:** आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करने के लिए परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (2005) को शामिल किया गया है।
- **अपराध की प्रकृति: ये अपराध संज्ञेय हैं** (बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है), **अपील हेतु अधिकरण।**

सीमा-पारीय संगठित अपराध

- **ड्रग तस्करी:** UNODC के अनुसार, दुनिया भर में अब **लगभग 300 मिलियन ड्रग उपयोगकर्ता** हैं, साथ ही तस्करी में भी वृद्धि हुई है।
- **मानव तस्करी:** UNODC के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोग, विभिन्न प्रकार के शोषण के चंगुल में फंसे हुए हैं।
- **प्रवासियों की तस्करी:** दुनिया भर में प्रवास मार्गों पर 8,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- **वैश्विक स्तर पर की गई पहलें:** अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC), भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल (भारत द्वारा अनुसमर्थित), इंटरपोल की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और प्रोजेक्ट मिलेनियम, अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN CCPCJ), वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)।
- **भारत में की गई पहलें:** संविधान का **अनुच्छेद 23; अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1956;** और **दंड विधि (संशोधन) संशोधन अधिनियम, 2013** के तहत **मानव तस्करी निषिद्ध** है। भारत 2022 में **संयुक्त समुद्री बलों** में शामिल हो गया है।

सीमा-पारीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC)

- UNTOC को **संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000** अपनाया था। इसे **2003** में लागू किया गया था।
- **सदस्य:** हस्ताक्षरकर्ता 147 और पक्षकार 191 देश। भारत ने **2011** में इसकी अभिपुष्टि की थी।
- इस अभिसमय के पूरक के रूप में **तीन प्रोटोकॉल हैं।**

हाइब्रिड वारफेयर

- हाइब्रिड वारफेयर में शक्ति के **पारंपरिक और गैर-पारंपरिक साधनों तथा विनाशकारी उपकरणों का इस्तेमाल** होता है। इसमें वैध सत्ता को **हानि पहुँचाने वाले माध्यमों का भी उपयोग** किया जा सकता है।
- **राजनीतिक वारफेयर:** 2016 के अमेरिकी चुनाव और ब्रिटेन के ब्रेक्जिट पर होने वाले मतदान पर रूस के प्रभाव की आशंका।
- **सैन्य वारफेयर:** इजरायल ने 2006 में इजराइल-हिज़्बुल्लाह युद्ध में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया।

ग्रे-जोन युद्ध

- ग्रे-जोन युद्ध में अपरंपरागत साधनों और रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इस तरह के हमले पारंपरिक युद्ध से बहुत अलग होते हैं क्योंकि वे अधिक छुपे हुए और अप्रत्यक्ष होते हैं।
- **प्रमुख पहलें:** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ; रक्षा खरीद प्रक्रिया (DAP), 2020; यू.एस.ए. के साथ **GSOMIA** जैसे समझौते; विदेशी एन.जी.ओ. के वित्त-पोषण के लिए FCRA विनियमन; साइबर सुरक्षा के लिए **CERT-In;** रक्षा आधुनिकीकरण के लिए **iDEX**

अर्बन वारफेयर

- **अर्बन वारफेयर** से आशय **शहरों और कस्बों जैसे शहरी क्षेत्रों में किए जाने वाले सैन्य अभियानों** से है।
- **अर्बन वारफेयर से निपटने के लिए पहल:** अर्बन कॉम्बैट के लिए प्रशिक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), स्मार्ट सिटी मिशन, आतंकवादी हमलों सहित शहरी आपदा परिदृश्यों में बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)।

अंतरिक्ष शस्त्रीकरण

- इसका आशय **बाह्य अंतरिक्ष या आकाशीय पिंडों में हथियार स्थापित करने** के साथ-साथ ऐसे हथियारों का निर्माण करने से है, जो अंतरिक्ष में लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं।
- **अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क:** बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967); आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (1963); PAROS; आर्टेमिस समझौते और बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता (LTS) के लिए UNOOSA के दिशा-निर्देश।

जासूसी (टोही) उपग्रह

- इस तरह के उपग्रह अन्य देशों की सैन्य गतिविधियों के बारे में **खुफिया जानकारी** उपलब्ध कराते हैं।
- **विश्व के कई देशों ने टोही उपग्रह लॉन्च किए हैं। इनमें शामिल हैं:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका: **कीहोल सीरीज (KH),**
  - चीन: **याओगान सीरीज,**
  - रूस: **पर्सोना सीरीज,**
  - भारत: **रडार इमेजिंग सैटेलाइट-2 (RISAT-2)**

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और उनका प्रबंधन
(SECURITY CHALLENGES AND THEIR MANAGEMENT IN BORDER AREAS)

भारत-चीन

- **सीमा पर चुनौतियां:** गलवान घाटी, अक्साई चिन, डोकलाम आदि में **सीमा विवाद;** चीनी वस्तुएं और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की **बड़े पैमाने पर तस्करी** (उदाहरण: जुलाई 2024 में पूर्वी लद्दाख में 82 करोड़ रुपये मूल्य का सोना तस्करी किया गया); **जल साझाकरण संबंधी मुद्दे** (उदाहरण के लिए- ब्रह्मपुत्र नदी)।
- **उठाए गए कदम: बुनियादी ढांचे का निर्माण करना,** जैसे कि ढोला-सादिया पुल; **पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास,** उदाहरण के लिए- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम; सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए **वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आदि।**

भारत-पाकिस्तान

- **चुनौतियां:** सर क्रीक और कश्मीर में **सीमा विवाद; नदी जल बंटवारा मुद्दा (सिंधु नदी); सीमा-पार आतंकवाद,** जैसे- उरी और पुलवामा हमला आदि।
- **उठाए गए कदम: व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)** का कार्यान्वयन; जम्मू-कश्मीर में **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडो की तैनाती करना आदि।**

भारत-नेपाल

- **चुनौतियां:** कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख में **सीमा विवाद;** भारत में नेपाल के माओवाद के संबंधों के कारण **माओवादी विद्रोह के फैलने की आशंका; आसान तरीके से नेपाल भाग जाना और अवैध गतिविधियां** जैसे कि तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा आदि; नेपाल की अवसंरचना, जल विद्युत जैसे **प्रमुख क्षेत्रों में चीनी निवेश।**
- **उठाए गए कदम:** जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की स्थापना; **नेपाल को विकास में सहायता करना** (वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने नेपाल को 700 करोड़ रुपये की सहायता आवंटित की); फतेहपुर सीमा चौकी जैसी- **सुरक्षा संबंधी अवसंरचना** का विकास आदि।

भारत-भूटान

- **चुनौतियां: उग्रवाद** (उदाहरण के लिए- भूटान में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के शिविर); **भूटानी भांग** जैसे सामानों की तस्करी; **लोगों और वाहनों की मुक्त आवाजाही आदि।**
- **उठाए गए कदम:** रॉयल भूटान आर्मी द्वारा उग्रवादियों के शिविरों को हटाने के लिए **ऑपरेशन ऑल क्लियर** चलाया गया; **सिक्किम में नई सीमा चौकियों की स्थापना;** अवसंरचना परियोजनाओं के लिए **वन भूमि के इस्तेमाल हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980** के अंतर्गत सामान्य मंजूरी आदि।

भारत-म्यांमार

- **चुनौतियां: मुक्त आवागमन व्यवस्था** (जैसे आदिवासी कुकी-चिन लोगों का अवैध प्रवास); **सीमा पर कोई भौतिक अवरोध का न होना** (उदाहरणार्थ: 2015-2018 के दौरान 563 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया) आदि।
- **उठाए गए कदम:** 2017 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **13 नए एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) स्थापित करने का प्रस्ताव** पेश किया। इनका उद्देश्य थाईलैंड और म्यांमार सहित सार्क देशों के साथ भारत के जुड़ाव को प्रोत्साहित करना होगा आदि।

सीमा अवसंरचना

- **सीमावर्ती क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है:** वामपंथी उग्रवाद, मादक पदार्थों/हथियारों की तस्करी पर रोक लगाना; सीमा पार आतंकवाद पर नियंत्रण; सभी मौसम में कनेक्टिविटी संपर्क प्रदान करना आदि।
- **सीमावर्ती क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास में आने वाली चुनौतियां:** दुर्गम स्थलाकृति (अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दलदली भूमि, लवणीय मैदान आदि); पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता; अवसंरचनाओं और सीमावर्ती क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित 'धन का कम उपयोग'।
- **सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें:** भारत-बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर BOLD-QIT (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेकनिक); अटल सुरंग (मनाली को लाहौल-स्पीति से जोड़ती है); शिंकू ला सुरंग (लद्दाख को सभी मौसम में कार्यशील सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की गई है)।
- **आगे की राह:** सीमा प्रबंधन के कार्य में **स्थानीय समुदायों को शामिल** करना; LiDAR, लेजर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग, CCTV, ड्रोन निगरानी जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग; सीमाओं की निगरानी करने वाले उपकरणों और सहायक उपकरणों की वर्तमान सूची में निरंतर नवीनतम प्रौद्योगिकियों को शामिल करना आदि।

समुद्री सुरक्षा

- **भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का महत्त्व:** समुद्र तट की सुभेद्यता (26/11 मुंबई आतंकवादी हमला); चीनी प्रभाव का मुकाबला करना; भारत का **80% बाह्य व्यापार** और **90% ऊर्जा व्यापार हिंद महासागर** के जरिए होता है आदि।
- **समुद्री सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां:** हिंद महासागर क्षेत्र में **समुद्री डकैती (पायरेसी) और समुद्री आतंकवाद;** समुद्री साइबर खतरे; तट-आधारित अवसंरचना के निर्माण में देरी आदि।
- **उठाए गए कदम: ; सागर कवच जैसे सैन्य अभ्यास;** महासागर (MAHASAGAR), क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग; **इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) की स्थापना आदि।**
- **आगे की राह:** तटीय सुरक्षा विधेयक को लागू करना; निगरानी प्रणाली को मजबूत करना (जैसे- उच्च आवृत्ति वाले रडार का प्रयोग); समन्वित कार्यों के लिए **राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज़ लागू करना आदि।**

समुद्री व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाना

- **प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट: स्वेज नहर** (2020 में **वैश्विक व्यापार का 12%** हिस्सा इसके जरिए संपन्न होता था); पनामा नहर (वैश्विक व्यापार का लगभग 6% हिस्सा इस नहर के जरिए संपन्न होता है)।
- **समुद्री मार्ग से व्यापार को सुरक्षित बनाने के उपाय:** ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन; जिबूती आचार संहिता (2009); यूरोपीय संघ द्वारा ऑपरेशन एस्पाइड्स आदि।
- **समुद्री मार्गों पर खतरों का प्रभाव:** व्यापार की लागत में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति; वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान; लंबे समुद्री मार्ग का प्रयोग करने से प्रत्येक जहाज के लिए CO_2 उत्सर्जन में 20% से 35% की वृद्धि होगी, आदि।
- **आगे की राह:** आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण; गैर-राज्य अभिकर्ताओं से निपटने के लिए रणनीतिक बदलाव; अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय समूहों का लक्ष्य क्षेत्रीय समुद्री मार्गों में स्थिरता को बनाए रखना, चोक पॉइंट्स को सुरक्षित बनाना आदि।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

- **भारत की सुरक्षा में अंडमान और निकोबार का महत्त्व:** समुद्री चोकपॉइंट्स पर नियंत्रण (मलक्का जलडमरूद्ध); विदेशी शक्ति के एकीकरण का मुकाबला (भारत को घेरने के लिए चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पहल); प्राकृतिक आपदाओं के प्रति कार्रवाई करने की भारत की क्षमता को बढ़ा सकती है आदि।
- **अंडमान और निकोबार के विकास से जुड़ी चुनौतियां:** ये द्वीप भूकंपीय जोन-V के तहत आने वाले क्षेत्र में स्थित हैं; इस द्वीप समूह में ओंग, जारवा, शोम्पेन जैसे PVTGs और विभिन्न विदेशज वनस्पतियां और जीव-जंतु पाए जाते हैं आदि।
- **आगे की राह:** परियोजना की गहन और निष्पक्ष समीक्षा; विकास के लिए वैकल्पिक स्थान (लिटिल निकोबार और कामोर्टा जैसे निकोबार समूह के अन्य द्वीप) आदि।

इन्फॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीज़न (IFC-IOR)

- **IFC-IOR का महत्त्व:** भारत की "क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर/ SAGAR)" पहल में निर्धारित विज़न के अनुरूप समुद्री रक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देता है; सूचना के प्रसार हेतु लॉजिस्टिक्स और नौकरशाही प्रक्रियाओं को कम करने में सहायक है; पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करता है आदि।
- **IFC-IOR के समक्ष कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां:** जानकारी साझा करने में चुनौतियां जैसे मानकीकरण, डुप्लिकेट प्रयास; समन्वय में कमी और डेटा को समान रूप से साझा करने की अनिच्छा से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां आदि।
- **आगे की राह:** वैश्विक स्तर पर सूचना-साझाकरण पैटर्न का मानकीकरण; सतही स्तर पर ग्रे शिपिंग (सैन्य) और डार्क शिपिंग (पहचान-छिपे हुए जहाजों) को कवर करने के लिए समुद्री निगरानी में वृद्धि,पारस्परिक तैनाती: भारत द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय लायजन अधिकारियों की अन्य देशों के केंद्रों में तैनाती आदि।

सुरक्षा बल (SECURITY FORCES)

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

- **रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्यों है:** हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति; विमान, पनडुब्बी जैसे **उपकरणों की अपर्याप्त संख्या आदि।**
- **सरकार द्वारा उठाए गए कदम:** सृजन (SRIJAN) पोर्टल, ADITI योजना, iDEX, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, स्वचालित मार्ग के तहत 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, शीघ्र निर्णय लेने के लिए **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन आदि।**
- **रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में आने वाली चुनौतियां:** उत्पादन और अधिग्रहण अनुबंधों को अंतिम रूप देने में लगभग 7 से 9 वर्ष लगते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा रक्षा पूंजीगत व्यय के लिए अपर्याप्त आवंटन, महत्वपूर्ण भागों के डिजाइन/ निर्माण में विशेषज्ञता का अभाव, **साइबर और अंतरिक्ष युद्ध जैसे भविष्य के युद्ध की प्रकृति** पर सीमित चर्चा।
- **आगे की राह:** नवाचार को बढ़ावा देना, नॉन-लैप्सेबल रक्षा आधुनिकीकरण कोष, उद्योग-रक्षा-अकादमिक जुड़ाव का विकास आदि।

रक्षा निर्यात

- **वर्तमान स्थिति:** भारत 2023 में रक्षा पर व्यय करने वाला चौथा शीर्ष देश और शीर्ष 25 हथियार निर्यातकों में शामिल था (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)।
- **भारत से रक्षा निर्यात में चुनौतियां:** लालफीताशाही; बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी मुद्दे; अत्यधिक प्रतिस्पर्धा आदि।
- **उठाए गए कदम:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन, रक्षा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, रक्षा उत्पादों को आयात करने हेतु अफ्रीकन देशों के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा आदि।
- **आगे की राह:** नए बाजारों, विशेष रूप से विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करना, **DefExpo 2024** जैसी पहलों के जरिए रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण आश्वासन और परीक्षण अवसंरचना का विकास करना आदि।

सशस्त्र बलों में संयुक्त कार्य-संस्कृति

- **एकीकृत थिएटर कमान (ITC) के निर्माण में चुनौतियां:** समन्वित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव; विशेष रूप से वायु सेना के पास और अलग-अलग भूमि-आधारित थिएटर्स, समुद्री थिएटर्स आदि के मामले में संसाधन सीमित हैं।
- **सशस्त्र बलों के एकीकरण के लिए किए गए उपाय:** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद बनाया गया है, **रक्षा मंत्रालय** के तहत **सैन्य कार्य विभाग का गठन** किया गया है, अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 लागू किया गया है, मुख्यालय-एकीकृत डिफेंस स्टाफ कार्यालय (HQ IDS) के तहत **डिफेंस स्पेस एजेंसी** गठित की गई है आदि।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की पुलिसिंग संबंधी शक्तियां

- **CAPFS को पुलिसिंग संबंधी शक्तियां प्रदान करने से उत्पन्न चुनौतियां: संघवाद से संबंधित चिंताएं** (कानून और व्यवस्था राज्य-सूची का विषय है) राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय की कमी, मानवाधिकारों का संभावित उल्लंघन।
- **CAPFs के समक्ष समस्याएं:** बड़ी संख्या में पदों की रिक्तियां, तनाव प्रबंधन की कमी, सशस्त्र बलों का नौकरशाहीकरण और पदोन्नति की दर में गिरावट, खराब बुनियादी ढांचा।
- **आगे की राह: प्रशिक्षण विधियों में नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार सुधार** करना चाहिए, CAPFs में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए और एक दक्ष शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए आदि।

रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी का समावेश

- **रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी अंगीकरण की आवश्यकता क्यों है:** संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी शक्तियां के साथ प्रतिस्पर्धा, भारत को 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में स्थापित करना, रक्षा बलों की संचालन क्षमता में वृद्धि आदि।
- **चुनौतियां:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट पर कम खर्च; खरीद और विकास में अत्यधिक शुरुआती लागत, आयात निर्भरता, प्रशासनिक मुद्दे, साइबर सुरक्षा संबंधी सुभेद्यताएं आदि।
- **प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम:** सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप (STEAG), भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (2015-2030), प्रोजेक्ट आकाशतीर, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजिस विद iDEX (ADITI) योजना।
- **आगे की राह:** प्रोफेसर **के. विजय राघवन समिति** की सिफारिशों को लागू करना (रक्षा विज्ञान व प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग की स्थापना करनी चाहिए, रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना करनी चाहिए); विनियामकीय और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए; लागत के स्थान पर प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देनी चाहिए।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

- **DRDO के अप्रभावी काम-काज हेतु उत्तरदायी कारण:** सामंजस्य का अभाव (DRDO द्वारा स्वदेशी जेट इंजन कावेरी के निर्माण में विफलता के कारण LCA तेजस के विकास में देरी हुई); अप्रचलित प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य; DRDO का नौकरशाहीकरण।
- **के. विजयराघवन समिति की प्रमुख सिफारिशें:** नई रक्षा तकनीकी-औद्योगिक कंसोर्टियम (Defence Techno-Industrial Consortium: DTIC) संरचना का निर्माण; सैन्य मामलों के विभाग के भीतर एक नए त्रि-सेवा प्रभाग का गठन किया जाना चाहिए; DRDO की अनुपयोगी प्रयोगशालाओं और परियोजनाओं को बंद कर देना चाहिए। इससे बड़ी मात्रा में भू परिसंपत्ति प्राप्त होगी, जिसका मौद्रीकरण किया जाना चाहिए। इससे नवाचारों का वित्त-पोषण किया जा सकेगा।

इंटरपोल

- **इंटरपोल के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां;** सदस्य देशों के बीच प्रत्यर्पण में इंटरपोल की कोई भूमिका नहीं होती है; राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारियां जैसे बेलारूस के राजनेता, यूक्रेन के राजनेता आदि की गिरफ्तारियां; सीमा-पारीय, साइबर और संगठित अपराध का उद्भव (उदाहरण - 2017 का वानाक्राई रैनसमवेयर हमला); भ्रष्टाचार आदि।
- **आगे की राह:** सदस्यों से आज्ञा के अनुपालन और निर्णयों का सुचारु निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु **शक्तियां प्रदान** की जानी चाहिए; उन लोगों से जुड़े **रेड नोटिस को निरस्त करना चाहिए** जिन्हें **शरणार्थी कन्वेंशन 1951** के अनुसार शरणार्थी का दर्जा दिया गया था आदि।

विविध (MISCELLANEOUS)

पोखरण-I (Pokhran-I)

- **'स्माइलिंग बुद्धा'** परमाणु परीक्षण **18 मई, 1974 को राजस्थान के पोखरण** में किया गया था।
- **इस परीक्षण के प्रभाव:** भारत के साथ तकनीकी भेदभाव; **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG), 1974; 1998 में पोखरण-II संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु समझौते-123 पर हस्ताक्षर** किए गए।

वैश्विक परमाणु विनियमन

- **परमाणु विनियमन (Nuclear regulations) से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम:** व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT); परमाणु अप्रसार संधि (NPT), 1968; परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW); परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्रों (NWFZ); मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR); विखंडनीय सामग्री कटौती संधि (FMCT); बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST)

भारत में ड्रोन

- **ड्रोन:** मानव रहित विमान (UA) है, जिसे पायलट के बिना संचालित किया (उड़ाया) जाता है।
- **उठाए गए कदम:** ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022; **नेशनल काउंटर रॉग ड्रोन दिशा-निर्देश** (2019); **ड्रोन रोधी तोपों की तैनाती** के लिए दिशा-निर्देश; ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम (D4S) तकनीक; डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म और अनुसंधान और विकास तथा रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों को छोड़कर ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध।

डिफेंस हेतु ड्रोन

- **रक्षा ड्रोन (DRDO):** लक्ष्य और निशांत, ब्लैक काइट (मिनी UAV), नेत्र और रुस्तम।
- **ड्रोन के विनिर्माण हेतु पहलें:** ड्रोन शक्ति योजना; ड्रोन और ड्रोन के घटकों के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना; भारत की ड्रोन नियमावली, 2021; अमेरिका से MQ-9B स्काईगार्डियन ड्रोन और इजरायल से हर्मीस-900 ड्रोन का क्रय; iDEX पहल के तहत एंटी-ड्रोन (वज्र प्रहरी प्रणाली)।

मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक

- इस तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल **कई परमाणु हथियारों को** ले जा सकती थी। इन परमाणु हथियार को अलग-अलग लक्ष्यों पर दागा जा सकता था।
- **MIRV तकनीक वाले देश: संयुक्त राज्य अमेरिका** MIRV तकनीक विकसित करने वाला पहला देश था। यह तकनीक रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के पास भी है।

निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEWs)

- निर्देशित ऊर्जा हथियार ऐसे रेंज हथियार हैं, जो **लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए गतिज ऊर्जा की बजाय विद्युत चुम्बकीय या कण प्रौद्योगिकी से सकेंद्रित ऊर्जा** का उपयोग करते हैं। इससे दुश्मन के उपकरण, सुविधाओं और/या कर्मियों को अक्षम बनाने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने में मदद मिलती है।
- **भारत द्वारा शुरू की गई पहलें:** डायरेक्शनली अन-रिस्ट्रिक्टेड रे-गन ऐरे (दुर्गा)-II परियोजना; 2kW निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) प्रणाली; लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (LASTEC); एम्पियर लीनियर इंजेक्टर (KALI)।
- **वैश्विक परिदृश्य:** संयुक्त राज्य अमेरिका की इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल-डैज़लर एंड सर्विलांस (HELIOS), हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम (HELWS)।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

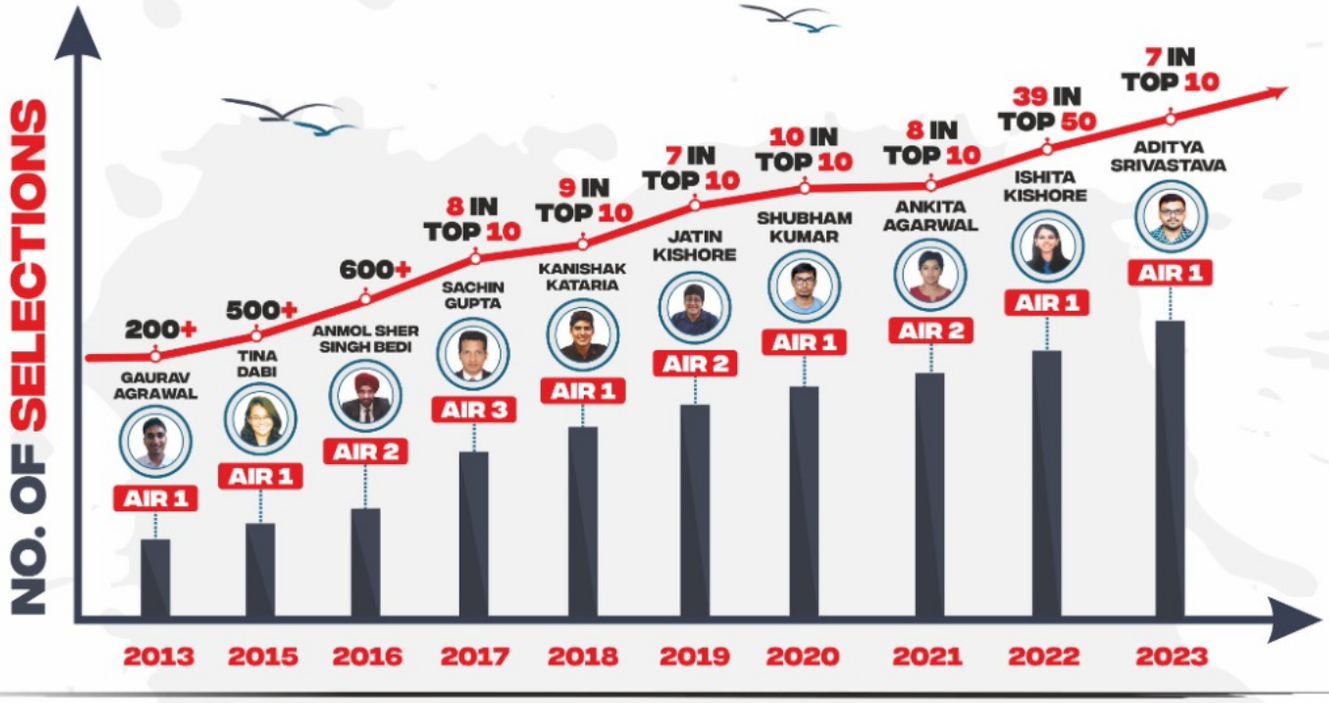

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 12 AUG, 9 AM | 14 AUG, 1 PM | 17 AUG, 5 PM
27 AUG, 9 AM | 29 AUG, 1 PM | 31 AUG, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
30 AUG, 5:30 PM | 19 JULY, 8:30 AM

AHMEDABAD: 20 AUG | BENGALURU: 21 AUG | BHOPAL: 5 SEPT | CHANDIGARH: 9 SEPT
HYDERABAD: 29 AUG | JAIPUR: 21 AUG | JODHPUR: 11 JULY | LUCKNOW: 5 SEPT | PUNE: 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 16 अगस्त | JODHPUR: 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest

Congratulations

to all Successful Candidates

79 in TOP 100 Selections in CSE 2023 from various programs of Vision IAS

Aditya Srivastava

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

TOPPERS' TALK

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

अर्पित कुमार

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
DELHI
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visionias hindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची